<u>उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।</u>

प्रकीर्ण फौजदारी आवेदन संख्या 1621/2022

ऋषिराज चौटाला एवं अन्य ..... आवेदकगण।

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य ..... उत्तरदातागण।

उपस्थितः— श्री ए0एम0 सकलानी, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता।
श्री प्रतिरूप पाण्डेय, ए0जी0ए0 एवं श्री प्रमोद तिवारी,
ब्रीफ धारक, उत्तराखण्ड राज्य की ओर से।

<u>मान्नीय शरद कुमार शर्मा, जे0 (मौखिक)</u>

प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 482 द0प्र0सं0 आवेदक द्वारा चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश हरिद्वार द्वारा फौजदारी अपील संख्या 124/2019 ''श्रीमती मोनिका एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य'' में पारित निर्णय एवं आदेश, दिनांक 23—06—2022 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन सी—482 फौजदारी अपील संख्या 124/2019 ''श्रीमती मोनिका एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य'' में घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत पारित आदेश के विरूद्ध किया गया है।

3. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 29 के प्रावधानों के अनुसार, अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत पारित किया गया कोई भी आदेश, जो किसी आदेश में संशोधन, निरसन और परिवर्तन किया गया है, वह अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत अपील योग्य है, आवेदन पोषणीय नहीं माना जा सकता।

4. उपरोक्त सिद्धान्त मान्नीय न्यायालय द्वारा **''शादाब बानो बनाम राज्य एवं अन्य'' (2009) 2 काइम 761: (2009) 1 कलकत्ता क्रिमिनल लॉ 924** में अभिनिर्धारित किया गया, जिसके पैरा संख्या 5 एवं 6 में मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नानुसार प्रतिपादित किया।

''**5.** चूंकि तर्क काफी लम्बे थे इसलिये मजिस्ट्रेट के अवलोकन की रिकॉडिंग की जानी थी। यह साक्ष्य का विषय है कि क्या विपक्षी संख्या 2 ने याची के पक्ष में वैध रूप से तलाक का उच्चारण किया या नहीं। प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम की धारा 29 जो मजिस्ट्रेट के आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान करती है। धारा 482 के तहत अंर्तनिहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग किसी आदेश को निरस्त करने के लिये किया जाना चाहिये चाहे आदेश कितना भी कमजोर क्यों न हो। श्री सनियाल ने बी0सी0पी0पी0 मजदूर संघ एवं अन्य बनाम एन0टी0पी0सी0 एवं अन्य का उल्लेख किया एवं तर्क दिया कि जब वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हो तब न्यायालय धारा 482 द0प्र0सं0 में किसी आदेश को सही कर सकता है। जब विद्वान मजिस्ट्रेट का मस्तिष्क निश्चित न हो कि क्या याची को तलाकशुदा पत्नी घोषित किया जाना चाहिये या अधिनियम 2005 के अंतर्गत भरण पोषण से इन्कार नहीं किया जाना चाहिये। इस आधार पर कि सम्बन्ध समाप्त हो गया है। विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि धारा 482 द0प्र0सं0 के अंर्तनिहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये जब अधिनियम की धारा 29 वैधानिक अपील का क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। तर्क के समर्थन में सत्यनारायण शर्मा बनाम राजस्थान राज्य'' का निर्णय प्रस्तुत किया गया।

6. पश्चिम बंगाल राज्य के प्रतिनिधित्वकर्ता श्री एस0एस0 रॉय द्वारा विपक्षी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद अतुनबी के तर्को का समर्थन किया गया। श्री सन्याल द्वारा प्रस्तुत निर्णय, अनुच्छेद 226 के तहत रिट आवेदन के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया। उस विनिश्चय में यह प्रतीत होता है कि रिट याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति नहीं की गयी थी और यह केवल प्रबन्धन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि यदि रोजगार की शर्तों और शर्तों के मामले में दायित्वों का कोई उल्लंघन हुआ तो अपीलार्थी के पास औद्योगिक कानून के तहत उचित उपाय हैं। मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि जब मामला सैकड़ो कर्मचारियों के रोजगार से संबंधित है तो उन्हें उनकी सहमति के बिना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से निजी संगठन में स्थानान्तरित करना मनमाना है। वैकल्पिक उपचार विवेकाधिकार का नियम है, न कि कानून का शासन। यह निर्णय तत्काल मामले में सहायक नहीं है। सत्य नारायाण (सुप्रा) के निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है–

''धारा 482 द0प्र0सं0 किसी अन्य अधिनियम में प्रावधान के होते हुये भी अंर्तनिहित क्षेत्राधिकार को प्रयोग करने के लिये प्रावधान नहीं करती। इस प्रकार यदि किसी विधि में स्पष्ट रूप से मनाही है तो अंर्तनिहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मधु लिमाय बनाम महाराष्ट राज्य, जनता दल बनाम एच0एस0 चौधरी एवं इन्द्रा साहनी बनाम भारत संघ के मामलों में निर्णित किया गया है कि यदि कोई विशिष्ट प्रावधान या कानून मनाही है तो अंर्तनिहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता''।

5. मान्नीय उच्चतम न्यायालय ने **''मनीष टन्डन बनाम ऋचा टन्डन एवं अन्य''(2009) 1 यू0सी0 242 उत्तराखण्डः 2008(2) यू0डी0 462** के पैरा 2, 3 एवं 4 में अभिनिर्धारित किया गया है कि–

''**2**. याची की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शरद शर्मा द्वारा कथन किया गया कि इस मामले में धारा 29 लागू नहीं होगी क्योंकि अधिनियम 2005 की धारा 29 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित अंतिम आदेश आता है। श्री शरद शर्मा के अनुसार अधिनियम 2005 की धारा 23(2) के अंतर्गत विपक्षी संख्या 01 से 03 के पक्ष में जारी एकपक्षीय अंतरिम भरण–पोषण का आदेश है। इस प्रकार उक्त आदेश पर धारा 29 के अंतर्गत अपील लागू नहीं होगी। श्री शर्मा के अनुसार यदि मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनियम की धारा 23(2) के अंतर्गत एकपक्षीय अंतरिम भरण–पोषण प्रदान किया गया है तो व्यथित व्यक्ति के पास धारा 482 द0प्र0सं0 के अंतर्गत ही एक मात्र उपचार उपलब्ध है।

3. मैं श्री शर्मा के उपरोक्त तर्क से पूरी तरह असहमत हूं। धारा 29 में शब्द ''आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 23(1) एवं 23(2) के अंतर्गत पारित अंतरिम भरण पोषण एवं एकपक्षीय अंतरिम भरण पोष्ण आदेशों से भिन्न हैं। चूंकि धारा 29 में शब्द आदेश किसी भी प्रत्यय एवं उपसर्ग द्वारा योग्य नहीं हैं। विधायिक की स्पष्ट मन्शा है कि मजिस्ट्रेट द्वारा पारित प्रत्येक आदेश धारा 29 के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश न्यायालय में अपील योग्य है। धारा 29 के अंतर्गत अपील करने का उपचार एक वैकल्पिक एवं सामान रूप से प्रभावी होने के कारण यह रिट याचिका पोषणीय नहीं है। इस प्रकार याची को अपील मन्च को दरकिनार करके धारा 482 द0प्र0सं0 के अंतर्गत सीधे इस न्यायालय में अपील का अधिकार नहीं है।

4. इसलिये मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अपील के वैकल्पिक एवं प्रभावी उपाय होने के आधार पर धारा 482 द0प्र0सं0 के अंतर्गत यह याचिका पोषणीय नहीं है।

6. मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **''अजयकान्त शर्मा एवं अन्य बनाम श्रीमती अलका शर्मा''(2008) सी0आर0एल0जे0 264** के पैरा 4 में अभिनिर्धारित किया गया है कि–

''**4**. यद्यपि यह तर्क नहीं दिया गया है फिर भी यह उल्लेख करना प्रतीत होता है कि अधिनियम के अंतर्गत विद्वान मजिस्टेट द्वारा पारित कोई आदेश धारा 29 के अंतर्गत अपील योग्य है। सामान्यतः जब किसी आदेश के विरूद्व कोई रिवीजन या अपील उपलब्ध है तो धारा 482 द0प्र0सं0 का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि पेप्सी फूडस लिमिटेड एवं अन्य बनाम विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट के मामले में पैरा 26 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की गयी कुछ गम्भीर त्रुटियों को सुधारने के लिये तत्काल राहत के रूप में धारा 482 द0प्र0सं0 एवं अनुच्छेद 227 का सहारा लिया जा सकता है। याची संख्या 3 एवं 4 के विरूद्व विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा उठाये गये कदमों को ध्यान में रखकर इस याचिका पर विचार किया गया है''।

7. उपरोक्त विधिक सिद्वान्तों के आलोक में अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत पारित अपीलीय आदेश के विरूद्ध कोई सी–482 आवेदन पोषणीय नहीं है।

8. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपीलीय आदेश के विरूद्ध विधिक रूप से उपलब्ध उचित कानूनी उपचार की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान सी–482 आवेदन को वापस लेने की अनुमति चाही गयी।

9. रजिस्ट्री को निर्देशित किया जाता है कि इस सी–482 आवेदन में आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को जिरॉक्स प्रति के साथ प्रतिस्थापित कर वापस कर दें।

(शरद कुमार शर्मा, जे0)
15.09.2022